न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 308/2013
प्रविष्टि दिनांक — 01.03.2013

विवेक सूद पुत्र श्री एस0एल0सूद जाति खत्री पंजाबी निवासी करोल कोटेज लक्कड़ बाजार शिमला हिमाचल प्रदेश ।

.... प्रार्थी

बनाम

1—सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2—परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।
3—तहसीलदार टोंक

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री बसंत कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित
(2) श्री अभिषेक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या—2

निर्णय

दिनांक 6—10—2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम गुन्सी तहसील निवाई की भूमि ख0नं0 284 में 500 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा बारानी—ए का निर्धारण किया गया है। जबकि प्रार्थी की भूमि एन0एच—12 पर स्थित व्यवसायिक भूमि है, जिसके आस पास कई व्यवसायिक दुकानें होटल व्यवसायिक परिसर व दुकानें पक्तिबद्व रूप से स्थित हैं तथा भूमि का मुआवजा पुरानी डीएलसी दर से कम दिया गया है। प्रार्थी की व्यवसायिक महत्व की भूमि है। अतः व्यवसायिक दर से मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 107/2009 दिनांक 4—6—2010 तलब की गई। अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र [illegible] किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की [illegible] वाके ग्राम गुन्सी मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम [illegible] धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 [illegible] आपत्ति प्रस्तुत [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:43:18 IST
Reason: SelfAttested

प्र0सं0 308/2013

आरबीट्रेटर
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12
(जिला कलक्टर) टोंक

का अवसर प्राप्त था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नही की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी–ए राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या– 2 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 107/2009 दिनांक 4–6–2010 से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 284 अवाप्त रकबा 500 वर्गमीटर किस्म बारानी–ए का डी.एल.सी. दर से ग्राम गुन्सी का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा व्यवसायिक भूमि की दर से मुआवजा चाहा गया है,परन्तु व्यवसायिक भूमि के संबंध मे संपरिर्वतन आदेश तथा अन्य साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 6–10–2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीटेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:43:18 IST
Reason: SelfAttested